फा. सं. 7 (19)/2008-संस्था-III (क)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पशु चिकित्सीय पदों से संबंधित प्रैक्टिस- बंदी भत्तों की दरों में संशोधन।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि डाक्टरों को बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन के औसत की मौजूदा 25 प्रतिशत की दर पर प्रैक्टिस -बंदी भत्ता (एन पी ए) मिलता रहेगा, बशर्ते कि मूल वेतन + एन पी ए 85,000 रुपए से अधिक न हो । सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 15.4.1998 के का. ज्ञा. सं. 7 (25) संस्था III (क) में संशोधन करते हुए प्रैक्टिस बंदी भत्ते को मौजूदा 25 प्रतिशत की दर पर देना जारी रखा जाए बशर्ते कि मूल वेतन + एन पी ए 85,000/- रुपए से अधिक न हो ।

2. संशोधित वेतनमान ढांचे के मूल वेतन का आशय निर्धारित वेतन बैंड जमा लागू ग्रेड वेतन में आहरित वेतन से है परन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसी कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है । एच ए जी + और इससे ऊपर के वेतनमानों में सरकारी कर्मचारियों के मामले में, मूल वेतन का अभिप्राय निर्धारित वेतनमान में वेतन से है ।

3. प्रैक्टिस-बंदी भत्ते की संशोधित दरें केन्द्रीय सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कर्मचारियों (अधिकारियों) को मान्य संशोधित वेतन पाने की तारीख से लागू होगी ।

4. प्रैक्टिस -बंदी भत्ते को केवल उन पशु चिकित्सीय पदों तक सीमित रखा जाएगा जिनके लिए बी वी एस सी एवं ए एच की डिग्री की न्यूनतम आवश्यक योग्यता के साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकरण भी अपेक्षित हो ।

5. प्रैक्टिस बंदी भत्ते को महंगाई भत्ते के परिकलन, यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों की हकदारी के प्रयोजन के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा ।

6. ये आदेश रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु उर्जा विभाग के अधीन पशु चिकित्सीय पदों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनके संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

आलोक

(आलोक सक्सेना)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।